

न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- सुभाष चंद्र

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का बागौरा,

बनाम

श्री रामलाल पुत्र धुडाराम जाति माली निवासी बागौरा तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

—:निर्णय:—

प्रकरण संख्या:- 50 / 2021

दिनांक 15.02.2022


पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का बागौरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत् 2078 में मौजा ग्राम बागौरा पटवार हल्का बागौरा के हाल भूमि खसरा नम्बर 1427/529 कुल रकबा 10.03 है0 किस्म गै0 मु0 चारागाह में से 0.2170 है0 सरकारी भूमि पर श्री रामलाल पुत्र धुडाराम जाति माली निवासी बागौरा ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार सोनी ने वकालतनामा पेश किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमि घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश

वाके ग्राम बागौरा पटवार हल्का बागौरा के हाल भूमि खसरा नम्बर 1427/529 कुल रकबा 10.03 है0 किस्म गै0 मु0 चारागाह में से 0.2170 है0 सरकारी भूमि पर से श्री रामलाल पुत्र धुडाराम जाति माली निवासी बागौरा निवासी उदयपुरवाटी को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 1.00 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 50/-रुपये (अक्षरे रू पचास मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि पर से अतिक्रमी को बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।



(सुभाष चंद्र)

नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी